

**महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति**

संख्या-5261/2025/001-comp.no.1990508

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगर निकाय निदेशालय,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 19 नवंबर, 2025

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम अयोध्या, मथुरा- वृन्दावन व वाराणसी में विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र संख्या-2187/न०नि०अयो०/2025-26, दिनांक 17.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम अयोध्या में नगर निगम अयोध्या द्वारा कराये जाने वाले विभिन्न कार्य हेतु धनराशि रू०-195.33 लाख का बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन व वाराणसी में विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या द्वारा कराये जाने वाले निम्न 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू०-195.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू०-195.33 लाख (रूपये एक करोड़ पन्चान्बे लाख तैत्तिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्रमांक	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	प्रस्तावित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ लाख में)	वित्तीय स्वीकृति (₹ लाख में)
1	नगर निगम अयोध्या	नगर निगम अयोध्या में कराये जाने वाले विभिन्न कार्य- (A) विभिन्न मुख्य मार्गों पर नाली, सड़क एवं फुटपाथ की मरम्मत सम्बन्धी कार्य। (B) मुख्य मार्ग एवं चौराहों की सजावट का	195.33	195.33

	कार्य। (C) विभिन्न मुख्य मार्ग पर पिट कवर एवं रंगाई-पुताई का कार्य। (D) अण्डरपास एवं सार्वजनिक स्थानों पर चित्रात्मक पेन्टिंग का कार्य। (E) आकस्मिक कार्य।		
	<b>योग-</b>	<b>195.33</b>	<b>195.33</b>

**(रूपये एक करोड़ पन्चान्बे लाख तैंतिस हजार मात्र)**

- (i) उक्त स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।
- (ii) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु अनुदान के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी। शासन द्वारा परियोजना/निकायवार प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निकायों को धनराशि आवंटित की जायेगी।
- (iii) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा संबंधित नगर आयुक्त को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (iv) प्रश्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (v) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नगर आयुक्त की होगी तथा संबंधित नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (vi) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (vii) प्रश्रगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (ix) संबंधित नगर आयुक्त, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (x) संबंधित नगर आयुक्त द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (xi) संबंधित नगर निकाय द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।
- (xii) विषयगत योजना हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने नगर निगम से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (xiii) उक्त मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले परियोजनाओं के चयन, निविदा, क्रियान्वयन एवं पूर्ण होने के रिकॉर्ड, सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा संरक्षित किये जायेंगे तथा संबंधित नगर आयुक्त द्वारा वार्षिक ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(xv) वास्तविक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जाएगा तथा पीएमयू हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी धनराशि को आहरित कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,95,33,000 ( रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख तैंतीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001900 जनपद अयोध्या, मथुरा एवं वाराणसी में पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधाओं हेतु विभिन्न व्यवस्थापन कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by  
RAJESHWARI PRASAD (राजेश्वरी प्रसाद)  
Date: 19-11-2025 18:06:16  
उप सचिव।

संख्या- /2025/001-comp.no.1990508, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3-जिलाधिकारी अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी) लखनऊ।
- 6-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
- 10- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by  
KRIPA SHANKER JAISWAR (कृपाशंकर जैसवार)  
Date: 19-11-2025 18:24:14  
अनु सचिव।